न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—159 / 2015 / 223 (2015 / 00015)

1. रामचन्द्र,
2. रामेश्वर,
3. शांतिलाल,
पुत्रान मांगीलाल, जाति रेगर, निवासी गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर ।
4. बदामी पत्नि छोगालाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम मकरेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्यामसुन्दर पुत्र घीसूलाल,
2. मन्जू पुत्री घीसूलाल,
जाति रेगर, नि0 गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. आशा देवी पुत्री घीसूलाल पत्नि उगमराज रेगर, हाल निवासी गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. बींजराज पुत्र गोपीचन्द, जाति कुम्हर, नि0 नया नगर, ब्यावर ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 28.1. 2015 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 102 / 1986 (53 / 1997).

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जे0के0पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3.
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

अपील संख्याः—21 / 2015 / 223 (2015 / 00016)

1. रामचन्द्र,
2. रामेश्वर,
3. शांतिलाल,
पुत्रान मांगीलाल, जाति रेगर, निवासी गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर ।
4. बदामी पत्नि छोगालाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम मकरेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्यामसुन्दर पुत्र घीसूलाल,
2. मन्जू पुत्री घीसूलाल,

जाति रेगर, नि0 गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।

3. आशा देवी पुत्री घीसूलाल पत्नि उगमराज रेगर, हाल निवासी गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. बींजराज पुत्र गोपीचन्द, जाति कुम्हर, नि0 नया नगर, ब्यावर ।
5. गोपीलाल पुत्र बींजराज, जाति रेगर, निवासी सूरजपोल गेट, कोट गली, ब्यावर । **(नाम तर्क)**
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 28.1.2015 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 85/1985 (66/2003).

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3.
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 25.10.2019

1. यह दोनो अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. दोनों अपीलो में विवादित भूमि एवं पक्षकारान समान होने तथा विवाद बिन्दू समान होने से दोनों अपीलो में एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक—पृथक संधारित की जावे ।
3. संक्षेप में दोनों अपीलों के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 4 बींजराज पुत्र गोपीचन्द कुम्हार ने एक वाद संख्या 85/1985 (66/2003) अधी0न्याया0 में ग्राम गोविन्दपुरा तहसील ब्यावर के खसरा नंबर 327 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नंबर 345 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वांसी बाबत् इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि दाखू बेवा श्रीलाल के खाते में वर्णित उक्त भूमि पर वादी के बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त होने से वादी को इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.11.1985 को वादी/रेस्पो0 संख्या 4 का उक्त वाद स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध केशी पत्नि मांगीलाल तथा रामचन्द्र, रामेश्वर, शांतिलाल तथा बदामी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दाखू बेवा श्रीलाल के वारिसान के तौर पर वर्तमान अपीलाटस को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.1985 को गलत मानते हुए दिनांक 28.5.1987 को वर्तमान अपीलांटस की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे दाखू के वारिसान अर्थात् वर्तमान अपीलांटस को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे । राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 28.5.1987 के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल में अपील किये

जाने पर मान0 राजस्व मण्डल ने दिनांक 18.5.1993 को निर्णय पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.5.1987 को निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया । वर्तमान अपीलांटस जो अधी0न्याया0 में लंबित वाद संख्या 85/85 में प्रतिवादी संख्या 3 से 7 थे के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर बींजराज के वाद को खारिज करने की प्रार्थना के साथ–साथ मांगीलाल जो कि दाखू के गोद गये थे, इस कारण दाखू के नाम अंकित भूमि उसके गोदपुत्र मांगीलाल के वारिसान के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की प्रार्थना की । इसी प्रकार घीसूलाल पुत्र बींजराज रेगर ने स्वंय को श्रीलाल एवं दाखू का गोदपुत्र बताते हुए वाद 102/1986 प्रस्तुत किया जिसे पूर्ववर्ती वाद संख्या 85/85 के साथ समेकित किया गया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2015 को पारित कर बींजराज वल्द गोपीचन्द का वाद खारिज किया तथा अपीलांटस का काउन्टर क्लेम खारिज किया तथा घीसूलाल द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया । अपीलांट के काउन्टर क्लेम को निरस्त करने तथा घीसूलाल के वाद को स्वीकार करने के निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह दो अलग–अलग अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में जो विचारण बिन्दू कायम किये है उसके अनुसरण में घीसूलाल के वारिसान की खातेदारी बाबत् किसी प्रकार का कोई वाद बिन्दु नहीं था तथा पक्षकारान की साक्ष्य वाद बिन्दुओं के अनुसार दी गई थी, इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना वाद बिन्दु के ही घीसूलाल के वारिसान को खातेदार घोषित किये जाने बाबत् जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी उसमें घीसूलाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र जिसमें उसके पिता का नाम विजयराज (वास्तविक नाम बींजराज) अंकित है । इस मृत्यु प्रमाण पत्र में घीसूलाल के पिता का नाम श्रीलाल कहीं पर वर्णित नहीं है, घीसूलाल सहायक उप निरीक्षक आर0पी0एफ0 में था तथा सर्विस रिकार्ड में भी घीसूलाल के पिता का नाम विजयराज ही अंकित रहा है । इसी प्रकार प्रदर्श डी–2 तथा प्रदर्श 4 व 5 जो कि बैक से संबंधित दस्तावेज है जिसमें घीसूलाल के पेंशन से संबंधित दस्तावेज है जिसमें भी घीसूलाल के पिता का नाम विजयराज दर्ज है । इसी प्रकार प्रदर्श 6 से 22 जो कि राजकीय सेवा एवं पेशन से संबंधित है, इन सभी दस्तावेजों में पिता का नाम विजयराज के रूप में अंकित है । इसके अलावा परिवार कार्ड प्रदर्श 23 तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोपाल जी मौहल्ला का प्रमाण पत्र प्रदर्श डी–24 में में पिता का नाम बींजराज अंकित है । इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित था कि वर्ष 1944 में जो तथाकथित गोदनामा बताया जा रहा है वह फर्जी है क्योंकि घीसूलाल कभी भी दाखू के पुत्र के रूप में नहीं रहा तथा ना ही घीसूलाल की पहचान दाखू व श्रीलाल के रूप में रही है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि नगर परिषद के अभिलेख में बींजराज पुत्र रूपा के आवास बाबत् वाद संख्या 97/85 में घीसूलाल द्वारा जो शपथपत्र दिया गया है उसमें पिता का नाम बींजराज ही अंकित है जो प्रदर्श–26 है । इसी प्रकार रेगर समाज द्वारा जो रिकार्ड संधारित किया जाता है एवं जो रसीदें राशि की एवज में रेगर समाज द्वारा दी गई है

उसमें घीसूलाल के पिता का नाम बींजराज ही अंकित है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि जिस तथाकथित गोदनामा के आधार पर घीसूलाल द्वारा क्लेम किया गया था वस्तुतः उक्त गोदनामा प्रथमदृष्टया ही शून्य प्रभावी है क्योंकि दाखू ने कभी भी घीसूलाल को गोद नहीं लिया था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । मांगीलाल दाखू के पति श्रीलाल के भाई का पुत्र है जिसे गोद लिया गया था जबकि घीसूलाल रूपा के अन्य पुत्र बींजराज का पुत्र है तथा रिश्ते में दाखू के एवं घीसूलाल के दादी पोते का संबंध हो सकता है जिसे किसी भी प्रकार से गोद लिया जाना संभव नहीं सकता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 मूल गोदनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद गोदनामे के आधार पर घीसूलाल का वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः दोनों अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में निवेदन किया कि मौजा गोविन्दपुरा तहसील ब्यावर स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 323 हाल खसरा नंबर 4327 रकबा 2–12–10 व साबिक खसरा नंबर 324 हाल खसरा नंबर 345 रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी के प्रारंभ से मालिक स्वामी वादी/रेस्पो0 के दत्तक पिता स्व0 श्रीलाल उर्फ शिवलाल थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी बेवा श्रीमती दाखू बेवा श्रीलाल उर्फ शिवलाल मालिक खातेदार हुई और दाखू ही तन्हा रूप से काबिज काश्त चली आ रही । मु0दाखू अनपढ़, विधवा महिला थी जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी बृजराज उर्फ बीजराज ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया जबकि मु0 दाखू ने किसी प्रकार से बाटे आदि पर नहीं दी थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि स्व0 मु0 दाखू ने अपने जीवनकाल में वादी के जायंदा पिता बींजराज व माता जमनादेवी की रजामंदी से जाति बिरादरी के रीति रिवाज अनुसार गोद लेकर विधिक रूप से गोदनामा दिनांक 18.12.1944 को तहरीर कराया था। मु0दाखू क मृत्यु के उपरांत से वादी ही विवादित आराजियात पर काश्त करता चला आ रहा है । वादी अपनी नासमझी व नाबालिगी अवस्था के कारण मु0 दाखू द्वारा तहरीर गोदनामे से अपने नाम नामांतकरण नहीं करवा सका जिससे उसका नाम रामस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सका किन्तु कानूनन वादी को खातेदार हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें अपीलांटस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 4 बींजराज द्वारा वाद संख्या 85/1985 (66/2003) बींजराज बनाम राज्य सरकार पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने काउण्टर क्लेम पेश किया । इसी प्रकार वादी घीसूलाल दत्तक पुत्र श्रीलाल उर्फ शिवलाल जाति रेगर ने भी विवादित आराजियात बाबत् वाद संख्या 102/1986 (53/1997) बउनवानी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान बनाम बींजराज पेश किया गया । विद्वान अधी0न्याया0 ने उक्त दोनों वादपत्रों को सम्मिलित कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2015 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 4 बींजराज का वाद संख्या 85/1985 (66/2003) बींजराज बनाम राज्य सरकार तथा उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर

क्लेम को खारिज करने का निर्णय व डिक्री पारित की तथा वादी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 102/1986 (53/1997) बउनवानी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान बनाम बींजराज को स्वीकार कर डिक्री पारित की है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद पत्र को निर्णित करने हेतु कुल 13 तनकियात कायम की है ।

9. तनकी संख्याः–1– आया वादीगण यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि वह वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है?

10. तनकी संख्याः–2– आया वादी जमाबंदियां चौसाला संवत् 2016 से 2028 तक एवं वर्किंग जमाबंदी में चले आ रहे स्व0 मु0 दाखू बेवा श्रीलाल की खातेदारी की इंद्राजात गलत घोषित कराने का अधिकारी है और राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है?

11. उक्त दोनों तनकियों को सिद्ध करने हेतु वादी बींजराज ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्श 2 से 12 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये । प्रदर्श 3 व 4 गिरदावरी संवत् 2032 व अन्य दस्तावेजात में मूल लेखनकर्ता की लेखनी के विपरीत अन्य लेखनी से इंद्राज किया जाना पाया गया है । इसी प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में भूमि अधिकारी व मालगुजार की हैसियत से दाखू बेवा श्रीलाल रेगर का नाम दर्ज इसमें भी अन्य लेखनी से खातेदार लिखकर बींजराज पुत्र गोपीचंद कुम्हार मु0 16 लिखा गया है । जमींदारी के तहत बिस्वेदार के नाम के स्थान पर किसके आदेश से यह इंद्राज दर्ज किया गया है इसे साबित करने में वादी बींजराज पूर्णत असफल रहा है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि यदि बिस्वेदार किसी को भूमि हस्तातंरित करता है तो भी आदेश सन् 1942 एवं उसके बाद जब तक अजमेर टिनेन्सी एवं लैण्ड रिकार्ड नियम लागू हुआ तब तक कलक्टर के आदेश से ही जरिये नामांतकरण प्रविष्टियां बदली जा सकती थी । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी या उसके पिता के नाम किसी विधिक आदेश से नामांतकरण, दाखिल खारिज नहीं हुआ है । वादी ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि जमींदारी–बिस्वेदारी–उन्मूलन अधि0 लागू होने पर सहायक कलक्टर के आदेश से धारा 15 के तहत वादी के नाम नामांतकरण दर्ज किया गया हो । वादी ने अपने बयानों में यह सशपथ स्वीकार किया है कि दाखू सन् 1958 तक बाटा लेने आती थी । वादी स्वर्ण जाति से है तथा स्व0 दाखू अनुसूचित जाति से है । ऐसी स्थिति में आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं हो सकती थी । उक्त दोनों तनकियात तनकी संख्या 1 व 2 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

12. तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्ध करने का भार प्रतवादी संख्या 2 पर था। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रतिवाद पत्र में कथन किया है कि अजमेर लैण्ड रिकार्ड एक्ट लागू होते समय वह वादी नाबालिग था और बहैसियत काबिज काश्त नहीं था । फसली सन् 1364 में वह मौरूसी दनहीं है । इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 48 में भू–धारक दाखू बेवा श्रीलाल रेगर दर्ज है, वहीं बिना किसी आदेश एवं नामांतकरण के काश्तकार के कॉलम में बीजराज वल्द गोपीचंद कुम्हार मुद्दत 17 साल दर्ज है । संवत् 2018 अर्थात् सन् 1961 होता है । सन् 1961 में वर्तमान राजस्थान काश्त0अधि0 एवं भू–राजस्व अधि0 प्रभाव में आ चुका था जिसके अनुसार अनुसूचित जाति की विधवा की भूमि के लिए धारा 88 राज0काश्त0अधि0 एवं 136 भूराजस्व अधि90 के तहत वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं था । इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 घीसूलाल के विधिक वारिसान ने

पिता व पति घीसूलाल का स्व0 दाखू द्वारा गोद लेने के संबंध में सशपथ बयान पेश किये है । अधी0न्याया0 ने यह तनकी संख्या 3 व 4 वादी बींजराज के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 2 घीसूलाल के वारिसान के पक्ष में निर्णित की है । अधी0न्याया0 का यह निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है ।

13. तनकी संख्या 5 व 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 बींजराज पर था । उक्त तनकियात के संबंध में तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णय में यह निर्णित हो चुका है कि विवादित आराजी पर वादी बींजराज का कब्जा काश्त नहीं है तथा विवादित आराजी प्रारंभ से स्व0 दाखू रेगर के नाम जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में दर्ज रही है किन्तु बाद की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इंद्राज परिवर्तन किया गया है । इसलिये तनकी संख्या 5 व 6 भी वादी बींजराज के विरूद्ध निर्णित की गई है । अधी0न्याया0 का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

14. तनकी संख्या 8 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 से 7 पर था। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे है । प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी–1 से डी–26 केवल स्व0 घीसूलाल को मुतबन्ना दाखू का पुत्र नहीं बताने बाबत् है जो वादी बींजराज को किसी प्रकार सहायता प्रदान नहीं करते है । तनकी संख्या 8 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

15. जहां तक तनकी संख्या 9 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 से 7 पर था । प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना बताया है, जिसके प्रमाण स्वरूप लगान की रसीदे पेश की है जो प्रदर्श–डी–27 है, यह दिनांक 8.2.2005 की है जो वाद दायरी के बाद की है जिससे उनका कब्जा वाद दायरी से पूर्व होना नहीं माना जा सकता है । जहां तक वादी द्वारा वाद पेश किये जाने का प्रश्न है कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिये राज0काश्त0अधि0 के तहत कभी भी वाद ला सकता है । अधी0न्याया0 का इस तनकी के संबंध में पारित निष्कर्ष विधिसम्मत् है ।

16. तनकी संख्या 10 के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में दाखू रेगर के नाम दर्ज थी जो बाद में संवत् 2022 से 2025 में बींजराज के नाम का इंद्राज किया गया है । जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी किसी भी प्रकार स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज हो सकती है तथा न ही राज0काश्त0अधि0 के तहत स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार ही प्रदान किये जा सकते है। इस तनकी के संबंध में अधी0न्याया0 का निष्कर्ष विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

17. तनकी संख्या 11 व 12 को सि0 करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 से 7 पर था । वादी का कथन है कि घीसूलाल के पक्ष में किया गया गोदनामा अवैध व झूंठा है । जहां तक गोदनामे का प्रश्न है इबारत गोदनामा अनुसार गोद ग्रहिता स्व0 दाखू ने घीसूलाल को गोद लेने का गोदनामा उसके पिता के साथ तहरीर किया है ओर इसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि नाबालिग घीसूलाल को मैं अपना मुतबन्ना पुत्र स्वीकारती हूं । यह गोदनामा दिनांक 28.12.1944 को उप पंजीयक, ब्यावर के यहां पंजीयन क्रमांक 111 बही संख्या 4 जिल्द संख्या 38 में पृष्ठ संख्या 47 व 48 पर पंजीबद्ध किया गया है जो प्रदर्श ए–1 है । उक्त गोदनामे को प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 एवं वादी ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया है । इसके

अतिरिक्त रेगर समाज की बही की छाया प्रति से भी स्पष्ट है कि घीसूलाल मृतक दाखू का गोदपुत्र है । इसी प्रकार सिविल जज ब्यावर के प्रकरण संख्या 107/62 उनवानी बींजराज वल्द रूघा कौम रेगर निवासी बड़ावास ब्यावर बनाम 1–अ गोपीलाल 1–ब गणेशीलाल नाबालिगान पि0 बींजरा जरिये गाकुलराम, 2 घीसूलाल वल्द बींजराज पि0 मुतबन्ना शिवलाल, 3 मु0 दाखू बेवा शिवलाल पर जारी डिक्री दिनांक 2.5.1963 प्रदर्श डी 34 पेश की है जिसमें स्पष्ट रूप से घीसूलाल को पिसरान मुतबन्ना शिवलाल लिखा गया है । अन्य दस्तावेजी साक्ष्य इकरारनामा दिनांक 9.9.1968 प्रदर्श–ए में घीसूलाल पुत्र बींजराज मुतबन्ना शिवलाल तथा प्रदर्श ए 18 इकरानामा दिनांक 8.9.1965 में घीसूलाल मुतबन्ना शिवलाल तथा प्रदर्श ए–16 बिजली का बिल में घीसूलाल शिवलाल तथा पानी का बिल प्रदर्श ए–15 में घीसूलाल शिवलाल अंकित है । रेगरान पंचायत की रीसद प्रदर्श 8–ए, 9–ए, 10–ए, 11–ए, 12–ए, 13–ए, 14–ए में घीसूलाल मुतबन्ना शिवलाल साबित है । इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने एक बही प्रदर्श डी–28 पेश कर दावेदारी की है कि विवादित आराजी में खातेदार स्व0 दाखू ने उनके पति व पिता मांगू को दिनांक 11.6.1949 को गोद लिया था । इस बाबत् प्रतिवादी रामचंद्र ने अपने बयान में अपनी जन्म तिथि दिनांक 21.7.1951 बताते हुए बयान किया है कि स्व दाखू ने मेरे पिता मांगीलाल को गर्मियों में दिनांक 11.6.1949 को गोद लिया ओर बही में पंचो के समक्ष गोद लेना लिखवाया है । मेरे पिता मांगू उर्फ श्रीलाल की पगड़ी बंधवाई । बही में एक्स स्थान पर सोहन की अंगूठा निशानी है । वाई स्थान पर देवा की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी सुवा के हस्ताक्षर है । मेरे पिता 1969 में मरे तब मेरी आयु 19–20 वर्ष थी । उनकी मृत्यु का पंजीयन कराने की जानकारी नहीं है । मैं अपने पिता के मकान में रहता हूं । मेरे पिता ने अपने बाप का नाम शिवलाल लिखवाया हो तो मुझे पता नहीं । गोदनामा दिनांक 18.12.1994 को मैंने नहीं देखा । घीसूलाल के गोद का सुना है । प्रदर्श डी–28 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें लिखी गई इबारत काली स्याही से लिखी गई है जिसमें दाखू के हस्ताक्षर नहीं है । प्रतिवादी इसे प्रमाणित कराने में भी असफल रहा है । अपने बयान में एक ओर से वाई स्थान पर सोहन की अंगूठा निशानी होने का कथन किया है किन्तु मुख्य परीक्षण में वाई स्थान पर किसी अंगूठा निशानी है मुझे मालूम नहीं होना बताया है तथा बही की लिखावट किसकी है यह भी मालूम नही है । गवाह सोहनलाल, देवा व सुवा को मैं नहीं जानता । घीसूलाल का गोदनामा फर्जी है, पड़ोसियों ने बताया तथा बताने वाले मर चुके है । इकरारनामा दिनांक 9.9.1968 इकरारनामा दिनांक 8.9.1965 में घीसूलाल मुतबन्ना शिवलाल अंकित है जो वाद दायरी से पूर्व का है जिसमें घीसूलाल मुतबन्ना शिवलाल अंकित है जिसका विरोध न तो मां दाखू ने किया है व ही उसके भाई ने किया है । उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से घीसूलाल मुतबन्ना शिवलाल का दत्तक पुत्र होकर मृतक दाखू का विधिक वारिसान होना साबित है । उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 11 व 12 प्रतिवादी संख्या 2 घीसूलाल के पक्ष में निर्णित की तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के विरूद्ध निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

18. तनकी संख्या 13 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 से 7 पर था जिसके संबंध में तनकी संख्या 11 व 12 में अधी0न्याया0 ने विस्तार से विवेचन किया है । प्रतिवादी संख्या 2 घीसूलाल को उसके गोदपुत्र होने के लिये सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष 1944 के गोदनामे को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है अर्थात् उक्त गोदनामा आज भी

प्रभाव में है । इस संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

19. जहां तक वादी घीसूलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 102/1986 (53/1997) बउनवानी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान बनाम बींजराज का प्रश्न है । चूंकि विवादित आराजी प्रारंभ से मृतक दाखू रेगर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा घीसूलाल उपरोक्तानुसार मृतक दाखू का गोदपुत्र होना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है । इन सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी बींजराज का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का काउण्टर क्लेम खारिज कर वादी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान का वाद संख्या 102/1986 (53/1997) बउनवानी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान बनाम बींजराज स्वीकार किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का यह निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

20. उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

21. अतः अपील अपीलांट संख्या 159/2015 (2015/00015) उनवान रामचंद्र बनाम श्यामसुन्दर व अन्य तथा अपील संख्या 21/2015 (2015/00016) उनवान रामचंद्र बनाम श्यामसुन्दर व अन्य खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 85/1985 (66/2003) बींजराज बनाम राज्य सरकार एवं वाद संख्या 102/1986 (53/1997) बउनवानी घीसूलाल मृतक जरिये वारिसान बनाम बींजराज में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2015 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

22. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर